न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व वाद सख्या 27/2006

श्री लादूसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री करणसिंह जाति रावत, निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील–मसूदा, जिला–अजमेर।

.....वादी

बनाम

1. श्री जीवनसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री उदयसिंह रावत
2. श्रीमती गंगा वयस्क विधवा पत्नि श्री उदयसिंह रावत
   दोनों ठिकाना ग्राम रामपुरा, तहसील–मसूदा, जिला– अजमेर।
3. श्रीमती भरदी वयस्क पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह रावत व पत्नि श्री गोपीसिंह
4. श्रीमती बदामी वयस्क पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह रावत व पत्नि श्री सूरमासिंह
   दोनों ठिकाना अमरसिंह का बाडिया, तहसील मसूदा, जिला अजमेर राज0 ।
5. श्रीमती लादी वयस्क पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह रावत व पत्नि श्री हजारी सिंह
   ठिकाना ग्राम सुहावा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर – राज0
6. श्रीमती सीता वयस्क पुत्री स्वर्गीय श्री उदयसिंह रावत व पत्नि श्री संग्राम सिंह
   ठिकाना ग्राम जालिया वाया जामोला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर – राज0
7. श्री भंवरसिंह वयस्क पुत्र स्वर्गीय श्री कूम्पसिंह रावत
8. श्री लक्ष्मणसिंह वयस्क पुत्र स्वर्गीय श्री कूम्पसिंह रावत
9. श्री लादूसिंह वयस्क पुत्र स्वर्गीय श्री कूम्पसिंह रावत
   तीनों ठिकाना रामपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर – राज0
10. श्रीमती घीसी वयस्क पुत्र स्वर्गीय श्री कूम्पसिंह रावत व पत्नि श्री मिश्रीसिंह
    ठिकाना ग्राम गोवलिया, वाया बान्दवाडा, जिला अजमेर – राज0
11. श्री गोकलसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री करणासिंह रावत
12. श्री बादरसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री करणासिंह रावत
    दोनों ठिकाना रामपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर – राज0
13. श्री हरजीसिंह उर्फ श्री हरजी वयस्क पुत्र स्व0 श्री भोमसिंह रावत
14. श्री सोजीसिंह उर्फ श्री सोजी वयस्क पुत्र स्व0 श्री भोमसिंह रावत
15. श्री कूकासिंह उर्फ श्री कूका वयस्क पुत्र स्व0 श्री भोमसिंह रावत
16. श्री बुद्धासिंह उर्फ श्री बुद्धा वयस्क पुत्र स्व0 हुकमसिंह रावत
17. श्री सीताराम वयस्क पुत्र स्व0 हुकमसिंह रावत
18. श्री बज्जा वयस्क पुत्र स्व0 हुकमसिंह रावत
    कमांक 13 से 18 सभी ठिकाना ग्राम रामपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर – राज0
19. राजस्थान सरकार जरीये भू धारक तहसीलदार महोदय तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।
20. श्री रतना पुत्र श्री सुखा निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

.....प्रतिवादीगण

संशोधित उनवान अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 07.10.2016

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम रामपुरा पटवार क्षेत्र सबलपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र किराप तहसील, मसूदा जिला–अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 273, 333, 459, 478 व 508 कुल किता 5 रकबा 7–04–10 बीघा वादी की तन्हा खातेदारी की भूमियां हैं ।

यहीं पर ग्राम रामपुरा में चाह नं. 465 रकबा 0–03–10 स्थित हैं जिसमें वादी का 1/7 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जो स्व. उदयसिंह के वारिसान हैं का 1/7 व कूम्पसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 से 10 का 1/7 तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का प्रत्येक का 1/7 – 1/7 व प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का 1/7 तथा 16 से 18 का 1/7 हिस्सा संयुक्त रूप से चला आता है । सभी हिस्सेदारान अपने–अपने औसरे अनुसार इस कुंऐ से पानी लेते हैं । इस चाह बाबत् विवाद है ।

इस कुंऐ पर एक कोटडी बनी हुई हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या 12 के नाम से सभी हिस्सेदारान की संयुक्त राशि से विद्युत कनैक्शन लिया हुआ है जिसके विद्युत खर्च का भुगतान सभी हिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 12 को अदा करते हैं । अलावा इसके उक्त कोटडी में डीजल इन्जन भी लगा हुआ है जिससे बिजली न आने पर पानी निकाला जाता है जो सभी हिस्सेदारान का संयुक्त रूप से खरीदा हुआ है ।

उक्त विवादित चाह को गहरा कराने के लिय वादी ने भी अपने हिस्से की राशि अदा की है तथा श्रमदान भी किया है लेकिन प्रतिवादी सं. 12 व अन्य हिस्सेदारान ने एकराय होकर वादी को इस कुंए पर ना जाने व इससे वादी का नाम हटवा देने की धमकी दी है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 वादी को अपने हिस्से का पानी निकालने में व्यवधान पैदा कर सकते हैं । वाद दिवस भी प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी है । अतः वाद लाने की आवश्यकता पडी है ।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि विवादित कुंए से वादी अपने तयशुदा औसरे के अनुसार 7वें दिन अपनी बारी का पानी निकालने का अधिकारी है । विकल्प न्यायालय औसरे तय कर देवे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा वादी के अपने औसरे का पानी लेने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेध किया जावे ।

प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17 नें अपने प्रतिवाद पत्र में वाद कथनों से इनकारी करते हुए सारांशतः निवेदन किया है कि विवादित चाह का ग्राम रामपुरा में स्थित होना सही है लेकिन वादपत्रानुसार इसमें पक्षकारान के औसरे नहीं है क्योंकि वास्तव में इसमें वादी का 1/8 व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/8 व प्रतिवादी संख्या 7 से 10 का 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/8 व प्रतिवादी संख्या 12 का 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 16 से 18 का 1/8 तथा स्व. श्रीमती लादी देवी पुत्री करणासिंह पत्नि सुखासिंह का 1/8 हिस्सा है जिसका एकमात्र वारिस रतना पुत्र सुखा उपभोग करता चला आ रहा है लेकिन वादी ने जानबूझकर स्व. श्रीमती लादी के वारिस रतना को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया है ।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

दी की नीयत बद है और उसने प्रतिवादी संख्या 12 के नाम से लिये गए विद्युत कनैक्शन में कोई राशि नहीं दी है और ना ही वह विद्युत खर्च की हिस्सा राशि अदा की है । इस चाह में पानी की कमी पर इसे गहरा करवाया था । उसमें रू0 43,230/– खर्च हुए उसके पेटे वादी अपनी हिस्सा राशि नहीं देना चाहता है । वह यदि कुंए के गहरा कराने में हुए खर्च की हिस्सा राशि अदा करता है तो पृथक विद्युत कनैक्शन लेकर अपने हिस्से का पानी निकालने के लिये स्वतन्त्र है । उक्त चाह पर बनी कोटडी में लगे डिजल इंजन में भी वादी ने कोई हिस्सा राशि नहीं दी है । इसलिये वह डीजल इंजन से पानी नहीं निकालता है । इस बाबत् वाद पत्र में किये गए कथन सर्वदा मिथ्या है । वादी इस झूठे वाद के जरिये प्रतिवादीगण पर जबरन दबाव बनाकर प्रतिवादी संख्या 12 की विद्युत मोटर एवं डीजल इंजन से अपने हिस्से से ज्यादा पानी लेना चाहता है ।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि वाद पत्र मयाद बाहर है तथा इस पर न्यायशुल्क पूरा अदा नहीं किया गया है । इस कुंए को गहरा कराने में कुल 43,230/– खर्च हुई जिसकी अदायगी वादी को छोड अन्य सभी हिस्सेदारान में अदा कर दी है लेकिन वादी ने अपने हिस्से की राशि आज दिनांक तक अदा नहीं की है । प्रकरण में स्व0 श्रीमती लादी पुत्री करणासिंह पत्नि सुखासिंह 1/8 हिस्से से हिस्सेदार है । उसके वारिसान रतना को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः वाद निरस्तनीय है । वादी विवादित चाह की खुदाई में हुए खर्च की राशि में अपने हिस्से की राशि यदि अदा करता है तो वह अपने हिस्से का पानी अपने साधन से लेने के लिए स्वतन्त्र है।

वादी द्वारा यह वाद सर्वथा झूठे मनगढ़न्त कथनों से लाया गया है । अतः इसे मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को हर्जा खर्चा दिलवाया जावे ।

वाद विचारण दौरान स्व. श्रीमती लादी पुत्री करणासिंह के वारिस रतना को वादी के आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 20 कायम किया गया ।

प्रकरण में प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने पर निम्न 4 तनकियात कायम कर शहादत पक्षकारान तलब की गई ।

तनकी 1:– आया वादी मोजा रामपुरा स्थित वाद पत्र के पैरा 1 में वर्णित अपनी खातेदारी की आराजियात हेतु विवादित चाह नं0 465 से अपने हिस्से के औसरे मुताबिक पानी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

तनकी 2:– आया वादी पैरा संख्या 2 के चाह में हिस्से अनुसार पानी लेने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है । .....वादी

तनकी 3:– आया प्रतिवादीगण प्रतिवाद पत्र में दर्शित कारणों के आधार पर वाद सव्यय निरस्त करवाने के अधिकारी हैं । .....प्रतिवादीगण

अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वादी ने अपने शहादत शपथ पत्र में वाद कथन ही दौहराए हैं । वकील प्रतिवादी ने दिनांक 13.05.2011 को हिदायत पैरवी नहीं होने के कथन अंकित कराए लेकिन पुनः उपस्थित होने पर भी कोई शहादत पेश नहीं की है । वादी द्वारा भी कोई स्वतन्त्र गवाह पेश नहीं किया है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई । उनके तर्क कमोबेश वाद कथनानुसार ही रहे हैं। मैने पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया । प्रकरण में विस्तार से विवेचन करने पर इसमें कायम तनकियात को निम्न प्रकार निर्णित करना तय पाया जाता है ।

आया वादी मौजा रामपुरा स्थित वाद पत्र के पैरा एक में वर्णित अपनी खातेदारी की आराजियात हेतु विवादित चाह नं. 465 से अपने हिस्से के औसरे मुताबिक पानी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर रहा है है जिसके लिये वादी ने ग्राम रामपुरा की संवत 2059 से 2062 की जमाबंदी के खाता संख्या 8 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 पेश की है जिसके अनुसार उदयसिंह, कूम्पसिंह, गोकलसिंह, बादरसिंह पि. करणा हिस्सा 5/7 ब.हि.ब. हरजी, सोजी, कूका पि. भोमसिंह हि. 1/7 ब. हि.ब. बुद्धा, सीताराम, बज्जा, पि. हुक्मा हि. 1/7 ब.हि.ब. से दर्ज है । वादी का कथन है कि उसका विवादित चाह में 1/7 हिस्सा दर्ज है ।

इस दस्तावेज से वह 1/7 हिस्से में से 5वें हिस्से का हकदार होना पाया जाता है । अलावा इसके वादी ने तकनीकी आधार पर यह स्वीकार किया है कि प्रतिवाद पत्रानुसार यदि स्व0 करणा के लडकी स्व0 श्रीमती लादी पुत्री करणा पत्नि सुखा है तो उसके पुत्र रतना को प्रकरण में पक्षकार बना दिया जावे । इस स्थिति में तो वादी 1/7 हिस्से में से छटे हिस्से का पानी लेने का अधिकारी होना पााय जाता है । वह तन्हा रूप से 1/7 हिस्से का हिस्सेदार नहीं पाया जाता है क्योंकि वर्तमान स्थिति में वह 6/7 हिस्से में संयुक्त हिस्सेदार बनता है । वादी तनकी बहक अपने सिद्ध करने से कासिर रहा है ।

तनकी 2 :– आया वादी पैरा 2 के चाह में हिस्से अनुसार पानी लेने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ।

इसका भार भी वादी पर रहा है । तनकी 1 के निर्णय में वह 1/7 हिस्से में 6/7 हिस्से से संयुक्त हिस्सेदार है इसी सीमा तक वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है । तनकी यथानुसार तय की जाती है ।

तनकी 3 :– आया प्रतिवादीगण प्रतिवाद पत्र में दर्शित कारणों के आधार पर वाद सव्यय निरस्त करवाने के अधिकारी हैं ।

इसका भार प्रतिवादीगण पर रहा है । उन्होंने इसके लिये चाह पर खर्च हुई राशि की रसीदात पेश की है लेकिन इनको जरिये शहादत प्रमाणित नहीं कराया है । एसी स्थिति में वाद प्रतिवाद में दर्शित कारणों से खारिज योग्य नहीं है अपितु वादी द्वारा गलत हिस्से की अपेक्षा के कारण वाद निरस्त योग्य पाया जाता है ।

अनुतोष ?

वादी प्रदर्श 2 एवं प्रतिवादी संख्या 20 के पक्षकार बन जाने से विवादित चाह के 1/7 हिस्से में 6/7 हिस्से का संयुक्त खातेदार पाया जाता है ।

वादी द्वारा ग्राम रामपुरा पटवार मंडल सबलपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र किराप तहसील मसूदा स्थित विवादास्पद चाह नं0 465 में अपने 1/7 हिस्से के लिये लाया गया वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता। अतः वाद सव्यय निरस्त किया जाता है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22.07.2010 अपास्त किये जाते हैं । वाद खर्च पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2016 को कार्यालय हाजा पर खुले इजलास सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.24 16:25:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: